

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील
चंदेरी चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क.-521/15

संस्थित दिनांक-31.12.2015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र चंदेरी
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

रामनिवास पुत्र ग्याप्रसाद कुशवाह उम्र 48 साल
निवासी घोसीपुरा मुरार हाल निवासी नारायण सिंह कुशवाह
का मकान ग्राम डेरुआडेम के पास थाना मुरार,
जिला ग्वालियर (म0प्र0)

.....अभियुक्त

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 20.07.2017 को घोषित)

- 01— अभियुक्त के विरुद्ध के विरुद्ध धारा— 25(1-बी) बी आयुध अधिनियम के आरोप है कि उसने दिनांक 12.10.2015 को 20:30 बजे दुर्गा नगर कालोनी गेट के पास थाना चंदेरी में लोक स्थान में अपने आधिपत्य में एक तलवार लोहे की जिसमें मूठियां पीछे लगी हैं, अपने आधिपत्य में बिना लाईसेंस के रखकर म0प्र0 शासन की अधिसूचना क्रमांक 6312-6552-।।-बी दिनांक 22.11.1974 का उल्लंघन किया
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक—12.10.2015 को करीब 08:30 बजे गस्त के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली की कोई एक व्यक्ति दुर्गा नगर कालोनी गेट के पास हाथ में तलवार लिये खड़ा है, सूचना तत्पक्ष हेतु मय फोर्स व पंचान नारायण सिंह व सुरेश केसा ि मुखबिर द्वारा बताये अनुसार स्थान पर पहुंचे तो एक व्यक्ति खिन्नी के पेड के नीचे हाथ में तलवार लिये खड़ा हुआ था, उसे मय फोर्स एवं पंचान की मदद से घेर कर पूछा अपना नाम रामनिवास पुत्र ग्याप्रसाद कुशवाह उम्र 48 साल निवासी घोसीपुरा मुरार हाल निवासी नारायण सिंह कुशवाह का मकान ग्राम डेरुआ डेम के पास थाना मुरार, जिला ग्वालियर म0प्र0 बताया, उक्त पंचानों के समक्ष तलवार रखने बाबत अभियुक्त से लाईसेंस चाहा तो उसने कोई लाईसेंस न होना बताया। अभियुक्त का उक्त कृत्य धारा—25 बी आर्म्स एक्ट के तहत दण्डनीय होने से आपराधिक संपत्ति उक्त पंचानों के समाने जप्त कर व आरोपी को गिरफ्तार कर व तदपश्चात थाने वापस आकर प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— अभियुक्त को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

दिनांक	क्या अभियुक्त ने दिनांक 12.10.2015 को 20:30 बजे दुर्गा नगर कालोनी गेट के पास थाना चंदेरी में लोक स्थान में अपने आधिपत्य में एक तलवार लोहे की जिसमें मूठियां पीछे लगी हैं, अपने अधिपत्य में बिना लाइसेंस के रखकर म0प्र0 शासन की अधिसूचना क्रमांक 6312-6552-।।-बी दिनांक 22.11.1974 का उल्लंघन किया ?
2.	दोष सिद्धी अथवा दोष मुक्ति ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

06— अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में उपनिरीक्षक एल0 आर0 पैकरा (अ0सा0-2) सहित जप्ती व गिरफ्तारी के साक्षी नारायण (अ0सा0-1) व सुरेश (अ0सा0-3) एवं अनुसंधानकर्ता अधिकारी प्रधान आरक्षक हरीसिंह तोमर (अ0सा0-4) के कथन न्यायालय में कराये गये थे। उपनिरीक्षण एल0 आर0 पैकरा (अ0सा0-2) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि दिनांक 12.10.2015 को वह कस्बे में अपनी ड्यूटी पर था तथा उसके साथ ड्यूटी पर आरक्षक धर्मसिंह, सुरेंद्र सिंह, प्रधान आरक्षक अनिल व डायवर प्रतिपाल भी था। इस साक्षी का कहना है कि उसे बस स्टेण्ड चंदेरी पर करीबन 08:00-08:15 बजे सूचना मिली थी, कि कोई व्यक्ति दुर्गा नगर कॉलोनी गेट के पास खिन्नी के पेड के नीचे तलवार लिये खड़ा है, जिसकी तस्दीक के लिये वह लोग मुखबिर के बताये स्थान पर रवाना हुये और रास्ते से ही दो साक्षी नारायण (अ0सा0-1) व सुरेश (अ0सा0-3) को अपने साथ लेकर उन्हें मुखबिर की सूचना से अवगत कराया था।

07— एल0 आर0 पैकरा (अ0सा0-2) का कहना है कि अभियुक्त ने उनकी गाडी को देखकर भागने का प्रयास किया था तो अभियुक्त को घेर का पकड़ा था और उससे नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम रामनिवास कुशवाह निवासी मुरार ग्वालियर का होना बताया था। एल0 आर0 पैकरा (अ0सा0-2) के अनुसार मौके पर ही अभियुक्त के कब्जे से एक तलवार जप्त की गयी थी जिसको रखने का लाइसेंस अभियुक्त के पास नहीं था। जिसके बाद मौके पर साक्षियों के समक्ष अभियुक्त से तलवार उसके जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी0 2 उसके द्वारा बनाया गया था तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा भी उसके द्वारा बनाया गया था जिस पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये हैं।

- 08— एल0 आर0 पैकरा (अ0सा0-2) के द्वारा न्यायालीन कथनों में बतायी गयी उपरोक्त घटना पूरी तरह से अभियोजन घटना से मैल खाती है तथा कथनों की पुष्टि भी उसके द्वारा थाना वापसी पर दर्ज की गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 5 में उल्लेखित घटना से होती है। जिसमें इस साक्षी के कथनों में कोई विरोधाभास की स्थिति दर्शित नहीं होती है। एल0 आर0 पैकरा (अ0सा0-2) का कहना है कि उसने अभियुक्त से तलवार जप्त कर उसकी जप्ती एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी की कार्यवाही पंचाग साक्षियों के समक्ष की थी, उक्त साक्षी नारायण (अ0सा0-1) व सुरेश (अ0सा0-3) के कथन अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में कराये गये हैं।
- 09— जप्ती व गिरफ्तारी के साक्षी नारायण (अ0सा0-1) ने अपने कथनों में एल0 आर0 पैकरा (अ0सा0-2) द्वारा न्यायालय में बतायी गयी कार्यवाही का कोई समर्थन नहीं किया है तथा इस साक्षी ने प्रकरण की जानकारी होने से ही इन्कार किया है। इस साक्षी का यहां तक कहना है कि पुलिस ने अभियुक्त से संबंधित कोई कार्यवाही उसके सामने नहीं की, परन्तु इस साक्षी ने जप्ती पत्रक प्र0पी0 1 व गिरफ्तारी प्र0पी0 2 पर अपने हस्ताक्षर होना अवश्य स्वीकार करते हुये, व्यक्त किया है कि उक्त हस्ताक्षर उससे थाने पर करा लिये गये थे।
- 10— अभियोजन का समर्थन न करने के कारण नारायण (अ0सा0-1) को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी कर उसका विस्तृत परीक्षण किया गया, परन्तु इस साक्षी ने अभियोजन का इस बात पर लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया कि घटना दिनांक को उसके सामने अभियुक्त से दुर्गानगर कॉलोनी गेट के पास उपनिरीक्षक एल0 आर0 पैकरा (अ0सा0-2) ने एक लोहे की तलवार जप्त कर शील बंद की थी तथा मोके से अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया था। यह साक्षी घटना के संबंध में पुलिस को भी कोई कथन न देना बताता है।
- 11—सुरेश (अ0सा0-3) जो कि अभियोजन घटना के अनुसार अभियुक्त से मोके पर की गयी जप्ती एवं उसकी गिरफ्तारी का साक्षी है, ने भी अपने न्यायालीन कथनों में अभियुक्त से उसके समक्ष एल0 आर0 पैकरा (अ0सा0-2) के द्वारा की गयी तलवार की जप्ती एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी का समर्थन न करते हुये, व्यक्त किया है कि वह घटना दिनांक को एल0 आर0 पैकरा (अ0सा0-2) के साथ पिछोर रोड पर शासकीय वाहन से अवश्य गया था, परन्तु इस साक्षी का कहना है कि वह गाडी में ही बैठा रहा था तथा दुर्गा नगर कालोनी के पास स्थित तिराहे से वह एक व्यक्ति को पकड़ कर साथ में लाये थे।
- 12— इस साक्षी का अपने न्यायालीन कथनों में कही भी यह कहना नहीं है कि अभियुक्त को एल0 आर0 पैकरा (अ0सा0-2) ने उसके सामने दुर्गा नगर कालोनी के गेट से पकड़ा था और उसके सामने अभियुक्त से तलवार जप्त की थी। सुरेश (अ0सा0-3) ने अपने प्रतिपरीक्षण में भी व्यक्त किया है कि उसने मोके पर अभियुक्त को नहीं देखा था और न ही उसने दरोगाजी को अभियुक्त से तलवार बरामद करते हुये देखा था, उसे थाने पर दरोगाजी ने बताया था कि अभियुक्त से तलवार बरामद हुयी है। अतः सुरेश (अ0सा0-3) ने भी पूरी तरह से अभियोजन घटना का एवं एल0 आर0 पैकरा (अ0सा0-2) के द्वारा मौके पर की गयी कार्यवाही का समर्थन नहीं किया।

- 13— यहां यह उल्लेखनीय है कि सुरेश (अ0सा0-3) ने भले ही इस बात पर अभियोजन का समर्थन नहीं किया कि उसके सामने अभियुक्त से एल0 आर0 पैकरा (अ0सा0-2) के द्वारा दुर्गा नगर कालोनी के गेट पर तलवार की जप्ती व अभियुक्त की गिरफ्तारी की गयी थी, परन्तु इस साक्षी ने यह स्पष्ट कथन दिये है कि वह एल0 आर0 पैकरा (अ0सा0-2) ने उसे पेट्रोल पंप से साथ में लिया था और वह एल0 आर0 पैकरा (अ0सा0-2) के साथ शासकीय वाहन से पिछोर रोड पर गया था, जहां दुर्गा कालोनी के पास स्थित तिराहे से वह एक व्यक्ति को साथ में पकड़ कर लाये थे जिसके बारे में उसे पता चला था कि वह कोई कुशवाह नाम का व्यक्ति है जो कि ग्वालियर का निवासी है।
- 14— विधि इस संबंध में सुस्थापित है कि किसी साक्षी के कुछ बिंदुओं पर अभियोजन का समर्थन न करने से उसकी संपूर्ण साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं हो जा सकती है। यदि किसी साक्षी का साक्ष्य का कुछ भाग विश्वास किये जाने योग्य हैं या उसकी पुष्टि किसी अन्य साक्ष्य से होती है तो ऐसी साक्ष्य पर विश्वास किया जा सकता है। इस संबंध में न्यायालय का अभिमत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत योमेश भाई पी0 भट्ट विरुद्ध स्टेट आफ गुजरात A.I.R. 2011 L.C. 2328, गरुप्रीत सिंह बनाम स्टेट आफ हरियाणा 2002 "8 S.C.C. 18 में प्रतिपादित की गयी विधि पर आधारित है।
- 15— अतः सुरेश (अ0सा0-3) के कथनों से एल0 आर0 पैकरा (अ0सा0-2) के न्यायालय में दिये गये कथनों की इस संबंध में पुष्टि होती है कि एल0 आर0 पैकरा (अ0सा0-2) घटना दिनांक को पिछोर रोड पर शासकीय वाहन से दुर्गा कालोनी स्थित तिराहे पर पहुंचे थे और रास्ते में जाते समय उसने साक्षी सुरेश (अ0सा0-3) को भी पेट्रोल पंप से अपने साथ में लिया था तथा दुर्गा कालोनी गेट में वह एक व्यक्ति को पकड़ कर थाने पर भी लाये थे।
- 16— जप्ती व गिरफ्तारीकर्ता अधिकारी एल0 आर0 पैकरा (अ0सा0-2) के कथनों में इस संबंध में बचाव पक्ष कोई तात्त्विक विरोधाभास उत्पन्न करने में सफल नहीं हुआ कि घटना दिनांक 12.10.2015 को दुर्गा नगर कालोनी गेट के पास मुखबिर की सूचना पर से उसने रात्रि लगभग 08:30 बजे अभियुक्त से साक्षी नारायण (अ0सा0-1) व सुरेश (अ0सा0-3) के समक्ष गैर लाइसेंसी तलवार जप्त की थीं और अभियुक्त को मोके से गिरफ्तार कर थाने लाये थे। घटना दिनांक को एल0 आर0 पैकरा (अ0सा0-2) शासकीय वाहन से सुरेश (अ0सा0-3) को साथ में लेकर दुर्गानगर कालोनी गेट पर पहुंचे थे और वहां से एक व्यक्ति को पकड़ कर थाने लाये थे, इस बात की पुष्टि स्वयं सुरेश (अ0सा0-3) ने अपने न्यायालयीन कथनों में की है।
- 17— एल0 आर0 पैकरा (अ0सा0-2) का कहना है कि दिनांक 12.10.2015 को उनके द्वारा 21:10 बजे थाने के सान्हा क्रमांक 492 पर अपनी वापसी दर्ज की गयी थी, जिसके संबंध में मूल सान्हा अभियोजन की ओर से प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है जिसकी मूल से मिलान की कार्बन प्रति प्र0पी0 4 अभिलेख पर है। प्रपी 4 के सान्हा दर्ज की गयी प्रविष्टि से भी एल0 आर0 पैकरा (अ0सा0-2) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथनों की पुष्टि

होती है कि एल0 आर0 पैकरा (अ0सा0-2) घटना दिनांक को सान्हा क्रमांक 490 पर रवानगी डाल कर हमराह स्टाफ के साथ शासकीय वाहन एम पी 03 ए 0883 से इलाका गस्त के दिल्ली दरबाजा सदर बाजार निजामुद्दीन चौराहा पुराना बस स्टेण्ड गस्त करते हुये मुखबिर की सूचना पर से घटना स्थल साक्षी नारायण (अ0सा0-1) व सुरेश (अ0सा0-3) को लेकर दुर्गानगर कालोनी गेट के पास पहुंचे थे और वहां से अभियुक्त को तलवार सहित पकड़ा था और थाने लाये थे।

18— एल0 आर0 पैकरा (अ0सा0-2) ने स्वयं प्र0पी0 4 के सान्हा में अपनी वापसी दर्ज की हैं जो कि स्वयं उसकी हस्तलिपि में जिसे साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 5 में स्वीकार भी किया है हालांकि इस साक्षी के कथनों में थाना पर वापसी के समय को लेकर दिये गये कथनों में विरोधाभास है, जैसे इस साक्षी का कहना है कि उसके द्वारा वापसी 21:10 बजे सान्हा में इंद्राज की गयी थी। इस साक्षी का यह भी कहना है कि 21:20 बजे पर थाने पर वापस आ गया था तथा प्रतिपरीक्षण में वह 09:15 बजे थाने पर वापस आना बताता है, इसी प्रकार अनुसंधानकर्ता अधिकारी हरिसिंह तोमर (अ0सा0-4) अपने कथनों में घटना दिनांक 12.10.2015 को दोपहर 02 से 02:30 बजे दुर्गा कालोनी में नारायण (अ0सा0-1) व सुरेश (अ0सा0-3) के कथन लेना बताता है, जबकि घटना ही रात्रि 08:30 बजे की है। एल0 आर0 पैकरा (अ0सा0-2) व हरिसिंह तोमर (अ0सा0-4) के कथनों में उत्पन्न हुआ उक्त विरोधाभास तात्विक स्वरूप का नहीं है क्योंकि पुलिस कर्मी जो कि निरंतर कई अनुसंधान करता रहता है तथा उसके द्वारा कई कार्यवाही की गयी है, उससे यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह यांत्रिकी रूप से हर कार्यवाही का समय निश्चितता के साथ बता सके।

19— प्रकरण में जप्तशुदा तलवार शीलबंध हालत में एल0 आर0 पैकरा (अ0सा0-2) के परीक्षण के समय आर्टिकल चिन्हित करने के लिये तलब की गयी जिस पर चस्पा जप्ती चिट पर दिनांक 12.10.2015 को 20:30 बजे अभियुक्त से तलवार की जप्ती की कार्यवाही का उल्लेख है। प्रकरण में जप्त शुदा तलवार की पहचान तलवार में पृथक से मुठिया का लगा होना हैं जिसका उल्लेख जप्ती पत्रक प्र0पी0 1 हैं। वही तलवार न्यायालय में आर्टिकल ए से चिन्हित की गयी है, एल0 आर0 पैकरा (अ0सा0-2) ने अपने न्यायालीन कथनों में स्वीकार किया है। उसने आर्टिकल ए की तलवार अभियुक्त से जप्त की थी जिसके संबंध में कोई संशय की स्थिति नहीं रह जाती है कि आर्टिकल ए की तलवार वही है जो मोके से अभियुक्त से जप्त होना एल0 आर0 पैकरा (अ0सा0-2) ने अपने न्यायालीन कथनों में एवं जप्ती पत्रक प्र0पी0 1 में बताया है।

20— तलवार का माप से यह स्पष्ट होता है कि उक्त तलवार का सार्वजनिक स्थान पर अपने अधिपत्य में रखा जाना म0प्र0 शासन की अधिसूचना क्रमांक 6312-6552-।।-बी दिनांक 22.11.1974 का उल्लंघन है। उक्त अधिसूचना विधि का बल रखती है तथा धारा 4 आयुद्ध अधिनियम के तहत जारी की गयी, इसकी न्यायिक अवेक्षा न्यायालय धारा 57 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत ले सकता है। अतः स्पष्ट है कि एल0 आर0 पैकरा (अ0सा0-2) के द्वारा मोके से अभियुक्त के अधिपत्य से जप्ती की गयी आर्टिकल ए की तलवार का रखा जाना उक्त अधिसूचना के तहत प्रतिबंधित था।

21— एल0 आर0 पैकरा (अ0सा0-2) के द्वारा बतायी घटना की पुष्टि उनके द्वारा दर्ज की

गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० 5 व वापसी सान्हा प्र०पी० 4 सी में उल्लेखित घटना से होती है तथा घटना स्थल पर इस साक्षी के द्वारा की गयी कार्यवाही का समर्थन भले ही जप्ती के साक्षियों के द्वारा नहीं किया गया, परन्तु स्वयं जप्ती के साक्षी सुरेश (अ०सा०-2) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथनों से यह प्रमाणित होता है कि एल० आर० पैकरा (अ०सा०-2) ने घटना दिनांक को मुखबिर की सूचना पर से दुर्गा नगर कालोनी के गेट से अभियुक्त को पकड़ा था। सुरेश (अ०सा०-2) अपने कथनों में यह स्वीकार करता है कि वह दुर्गानगर कालोनी गेट से किसी व्यक्ति को पकड़ कर लाये थे और उक्त व्यक्ति ग्वालियर निवासी कोई कुशवाह था।

22— यह कैसे संभव है कि सुरेश (अ०सा०-2) ने उसे व्यक्ति को मौके पर न देखा और उसे किस कारण से गिरफ्तार किया गया वह ये न देख पाया हो। इस साक्षी के एवं नारायण (अ०सा०-1) के अभियुक्त के विरुद्ध एवं अभियोजन के समर्थन में न्यायालय में कथन न देने के कुछ भी कारण हो सकते हैं, परन्तु मात्र पंच साक्षियों के द्वारा घटना का समर्थन न करने के कारण एक पुलिस कर्मी जिसके द्वारा की गयी कार्यवाही संदेह रहित है उस पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में न्यायालय का अभिमत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत नाथू सिंह बनाम मध्यप्रदेश राज्य A.I.R. 1973 S.C.2783 में प्रतिपादित विधि पर आधारित है।

23— एल० आर० पैकरा (अ०सा०-2) के न्यायालय में दिये गये कथन एवं की गयी प्र०पी० 1 की जप्ती व प्रपी 2 की गिरफ्तारी की कार्यवाही अकाट्य व अखण्डित हैं। जिस पर संदेह करने का कोई युक्तियुक्त कारण अभिलेख पर नहीं है। एल० आर० पैकरा (अ०सा०-2) के द्वारा की गयी कार्यवाही की पुष्टि सुरेश (अ०सा०-3) के कथनों से आंशिक रूप से होती है वहीं पूरी कार्यवाही की पुष्टि प्रकरण में दर्ज की गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० 5 सी व सान्हा प्र०पी० 4 सी से होती है, जिस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। बचावपक्ष की ओर से हालांकि एल० आर० पैकरा (अ०सा०-2) के प्रतिपरीक्षण में यह प्रतिरक्षा ली गयी है कि अभियुक्त का पुलिस थाना चंदेरी में कोई स्थाई वारंट था, जिसके कारण अभियुक्त को पकड़ा गया, परन्तु बचाव पक्ष की ओर से यह तक स्पष्ट नहीं किया गया कि किस प्रकरण में अभियुक्त का स्थाई वारंट था तथा वास्तव में उसे घटना दिनांक को स्थाई वारंट के पालन में पकड़ा गया था अथवा नहीं। अतः बचाव पक्ष के द्वारा ली गयी प्रतिरक्षा का कोई आधार नहीं है।

24— प्रकरण में अभियोजन पर यह भार होता है कि वह अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करे। वर्तमान प्रकरण में अभियोजन अभिलेख पर आयी साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह से सफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 12.10.2015 को 20:30 बजे दुर्गा नगर कालोनी गेट के पास थाना चंदेरी में लोक स्थान में अपने आधिपत्य में एक तलवार लोहे की जिसमें मूठियां पीछे लगी हैं, अपने अधिपत्य में बिना लाईसेंस के रखकर म०प्र० शासन की अधिसूचना क्रमांक 6312-6552-।।-बी दिनांक 22.11.1974 का उल्लंघन किया।

25— फलस्वरूप अभियुक्त रामनिवास पुत्र ग्याप्रसाद कुशवाह के विरुद्ध आयुद्ध अधिनियम की धारा- 25(1-बी) बी आयुद्ध अधिनियम के आरोप साबित होते हैं। उपरोक्त आधार पर अभियुक्त रामनिवास पुत्र ग्याप्रसाद कुशवाह को आयुद्ध अधिनियम की धारा

25(1-बी)बी आयुध अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष सिद्ध घोषित किया जाता है।

26— अभियुक्त की आयु अपराध की प्रकृति, गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्त को आपराधिक परिवेक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है निर्णय दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु स्थगित किया जाता है।

निर्णय कुछ देर बाद पेश हो।

(असिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

27— दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त तथा उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनके द्वारा व्यक्त किया गया अभियुक्त का प्रथम अपराध है वह छात्र हैं अतः दण्ड देते समय सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाये। अभियुक्त पर आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का तथा इस तरह के कृत्य के अन्य गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं, अतः अभियुक्त पर आरोपित अपराध की प्रकृति एवं परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्त अभियुक्त रामनिवास पुत्र ग्याप्रसाद कुशवाह को आयुद्ध अधिनियम की धारा 25(1-बी) बी आयुध अधिनियम के अपराध का दोषी पाते हुये उक्त अपराध के आरोप में 1 वर्ष (एक वर्ष) के सश्रम कारावास एवं 500/- रुपये (पांच सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 1 माह (एक माह) का पृथक से साधारण कारावास भुगताया जावे।

28— अभियुक्त की न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की जावे धारा-428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। प्रकरण में आरोपी के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण में जप्तशुदा एक तलवार, जिसमें मुठियां लगी है, बाद मियाद अपील, अपील न होने की दशा में जिला दण्डाधिकारी अशोकनगर म0प्र0 को विधिवत् निराकरण के लिये भेजा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत्
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

